

30

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12013 पुनरीक्षण

निज. 4517-II-13

श्री. म. म. म. म. म. को
द्वारा आज दि. 19-12-13 को
प्रस्तुत

कलक ऑफ 19-12-13
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 1) महाराजसिंह पुत्र प्रीतम लौधी,
 - 2) किमसिंह पुत्र प्रीतमसिंह लौधी,
 - 3) मुकेशसिंह पुत्र प्रीतम लौधी,
 - 4) सुरेशसिंह पुत्र प्रीतम लौधी,
 - 5) गौविन्ददास पुत्र जालम लौधी,
- समस्त निवासीगण ग्राम कडैरा, तहसील चन्देरी, जिला अशोक नगर

---आवेदकाण

वनाम

- 1) भगवानदास पुत्र भूपत लौधी,
निवासी ग्राम कडैरा, तहसील चन्देरी,
जिला अशोक नगर
- 2) म०प्र० शासन द्वारा पटवारी कडैरा,
तहसील चन्देरी, जिला अशोक नगर

---अनावेदकाण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 40 म०प्र० मू-राजस्व संहिता 1854
विरुद्ध आदेश दिनांक 28-10-13 पारित द्वारा श्री मास्कर
लादाकार, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग चन्देरी,
जिला अशोक नगर, प्रकरण क्रमांक 17/अपील 12-13 कनवान
भगवानदास वनाम महाराजसिंह व अन्य ।

माननीय महोदय,

आवेदकाण की और से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संदिग्ध तथ्य :

(अ) यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा न्यायालय तहसीलदार चन्देरी

(N.S. Key)
म.प्र. शासन
19-12-13
(D.K. Shrivastava)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्त आदेश पृष्ठ

जिला अशोक नगर

24

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4517-तीन/13

कार्यवाही तथा आदेश


पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

11.02.2015

आवेदक अधिवक्ता श्री एस0पी0धाकड़ अधिवक्ता
उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना ।

2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर
विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी चन्देरी जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक
17/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24-10-13
की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरुद्ध में
आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3- अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से
स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का अंतिम
निराकरण किया गया है । नियमानुसार आवेदक को
अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील
प्रस्तुत करना चाहिये थी । अनुविभागीय अधिकारी के
अपीलीय आदेश के विरुद्ध निगरानी सुने जाने का कोई
औचित्य नहीं है । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर अग्राह्य
की जाती है ।


प्रशासकीय सदस्य